चेतावनी

एआइ-डीपफेक पर सरकार ने कसी लगाम

फर्जी वीडियो बनाकर बच नहीं सकेंगे अपराधी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जोधपुर. किसी व्यक्ति की फोटो उठाकर उसे अश्लील, भ्रामक या आपत्तिजनक एआइ वीडियो में बदलकर सोशल मीडिया पर वायरल करना अब आसान नहीं होगा। केंद्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और डीपफेक के बढ़ते दुरुपयोग पर सख्ती करते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब एआई से तैयार हर फोटो, वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट पर स्पष्ट एआइ वॉटरमार्क या डिस्क्लेमर देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होने पर संबंधित सामग्री को सामान्य डिजिटल कंटेंट माना जाएगा और उससे किसी की छवि खराब करने, पहचान की चोरी करने या फर्जी सूचना फैलाने पर सीधे आपराधिक कार्रवाई की जा सकेगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत नियमों में संशोधन करते हुए सोशल मीडिया और एआई प्लेटफॉर्म की जवाबदेही भी तय की है। डीपफेक न्यूडिटी, मॉर्फ्ड वीडियो, पहचान की चोरी या अन्य आपत्तिजनक एआइ सामग्री की शिकायत मिलने पर प्लेटफॉर्म को अधिकतम दो घंटे में उसे हटाना होगा, जबकि सरकार या अदालत के आदेश पर अवैध सामग्री तीन घंटे में हटानी होगी। अन्य शिकायतों का निस्तारण सात दिन में करना होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर प्लेटफॉर्म को मिलने वाली 'सेफ हार्बर' सुरक्षा खत्म हो सकती है और उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई संभव होगी।

दो घंटे में ही हटानी होगी फर्जी सामग्री, नियम तोड़ने वाले प्लेटफॉर्म भी होंगे जिम्मेदार

अब फर्जी कंटेंट नहीं कर पाएंगे तैयार

अब तक साइबर फ्रॉड करने वाले एआइ सहित अन्य टूल्स का इस्तेमाल करके फर्जी कंटेंट तैयार कर लेते थे। अब ऐसे कंटेंट पर सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। - **प्रिया सांखला,** साइबर एक्सपर्ट व वकील